बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 17 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 23.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 4.00 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन के माध्यम से इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे घोटाले के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 147, 148, 149, 150, 151 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 153, 154, 155, 157 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 152, 156 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 151 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, इसको देखिए, गंभीर विषय है।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 359, 360, 361, 362, 363 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 384 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 375, 378, 383 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 359 पर सदन की भावना को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने माननीय उप सभापति महोदय से अनुरोध किया कि आप अपने स्तर पर एक बैठक बुला लें, जो संबंधित माननीय सदस्य हैं, वे रहें, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के लोग रहें। मैंने अभी तक इसकी समीक्षा नहीं की है। इसपर माननीय उप सभापति महोदय ने जब पूछा कि उसमें आप रहेंगे न, तब माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं रहूंगा, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और सब लोग रहें ताकि वस्तुस्थिति क्या है, वह सारी चीज सामने आ जाए। तब माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि, अब हो जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 362 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री महोदय ने सदन में स्पष्ट आश्वासन दिया। सदन की भावना और प्रश्न के महत्व एवं समस्याओं को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के पदाधिकारियों के साथ वे बैठेंगे। उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान होना है। आप जो प्रश्न लाते हैं, उसके पीछे भावना इतनी ही है, जो लोगों की समस्या है, कई तरह से प्रभावित लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। माननीय मंत्री जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने आपके साथ और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करके लगातार सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में निर्णय लिया है। सदन में उसकी घोषणा की, यह स्वागत योग्य है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता

हूं कि समस्या और उच्च सदन की भावना को देखते हुए इन्होंने ख्याल रखा कि स्वयं भी रहेंगे। मेरे आग्रह को स्वीकार भी किया, इसके लिए बधाई।

यह जो प्रश्न है मदरसा और संस्कृत से जुडे हुए लोगों के वेतनमान पर विचार करने के लिए कि 15.2.2011 से 31.8.2013 के बीच का जो मामला है, इसको आप आज ही यहां से उठने के बाद रात में जितने बजे भी हो, विशेष रूप से दिखवा लीजिएगा और इस पर निर्णय लीजियेगा।

3. औपचारिक कार्य

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति के द्वारा समिति के 187वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं इसपर सदन की सहमति प्रदान की गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. प्रो. नवल किशोर यादव
3. श्री कृष्ण कुमार सिंह

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

5. आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा शिक्षकों को भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में मधुबनी के अखबारों में छपी खबर की सूचना आसन को दिया, जिसका समर्थन अनेक माननीय सदस्यों ने किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, आपकी सूचना को माननीय शिक्षा मंत्री जी ग्रहण कर रहे हैं।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-4965, दिनांक 30.11.2016 के अनुपालन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री राजेश राम, केदार नाथ पाण्डेय, दिलीप कुमार चौधरी, प्रो. संजय कुमार सिंह एवं डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा जेड.ए. इस्लामिया कॉलेज, सीवान में स्नातकोत्तर के सात विषय और स्नातक के चार विषयों में स्थायी संबंधन देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आपको भी प्रसन्नता होगी, अगर आप उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हमारे पास जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जीवित रखना अनिवार्य है। शैक्षणिक जगत में जो स्थिति बनी हुई है, आपको इन सब चीजों पर खास नजर रखनी पड़ेगी और सदन की भावना को देखते हुए जो कॉलेज की डिमांड है, उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के वी.सी. और रजिस्ट्रार से बात करके इसको प्रायोरिटी में रखकर मदद करायें।

3. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

4. माननीय सदस्य, सर्वश्री केदार नाथ पाण्डेय, प्रो. संजय कुमार सिंह एवं डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की सामाजिक विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में नियुक्ति नहीं किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

माननीय सदस्यों ने एक दिन में 50 कॉपी की जांच करने के लिए शिक्षकों को बाध्य करने के संबंध में एक स्वर से सरकार से कार्रवाई की मांग की, इसपर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इस कठिनाई को भी माननीय मंत्री देख लें।

5. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद द्वारा बी. आर. ए. अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश संख्या–बी./135 दिनांक 20.2.2018 एवं अन्य दो कार्यालय आदेश को निरस्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के मनोनयन हेतु केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

7. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, श्री राणा गंगेश्वर सिंह एवं श्री शिव प्रसन्न यादव के सुलभ शौचालय अथवा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा कमाई का अंश राज्य सरकार को नहीं दिये जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

8. **गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)**

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में किए गए दो वर्ष की कटौती को वापस लेने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री चन्देश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'महान विभूति जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

3. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर खेल स्कूल स्थापित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. श्री राम लषण राम 'रमण' ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी जिला के पंडौल प्रखण्ड के भवानीपुर पंचायत में उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में प्रति वर्ष मनाए जाने वाले उग्रनाथ महोत्सव को सरकारी महोत्सव घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मुंगेर विश्वविद्यालय का

नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में एक महिला कॉलेज की स्थापना करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'महान समाजसेवी दलित नेता स्व. फूलचंद राम (पूर्व विधायक) की जीवनी को सरकारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'केन्द्रीय कर्मियों के लिए लागू केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (C.G.H.S.) में अंशदान कराकर अपने राजकोष के वेतनभोगियों एवं पेंशनधारियों को भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'धरोहर नगरी गयाजी में पिण्डदानियों की सुविधा के लिए फल्गु नदी पर देवघाट विष्णुपद से सीता कुण्ड तक पैदल पुल मार्ग का निर्माण 2019 तक करावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम सीतामही धाम रेलवे स्टेशन करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

11. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पश्चिमी चम्पारण जिला के सभी प्रखण्डों में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

12. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भारतीय नृत्य कला मंदिर' पटना को संगीत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

13. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के सभी जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फिजियोथेरापी केन्द्र स्थापित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'शहीदों के सम्मान में विद्यालयों, ग्रामों, सड़कों एवं अस्पतालों का नामकरण उनके नाम पर करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्यों को जो भी संकल्प या प्रश्न/ध्यानाकर्षण देना हो, वह स्पष्ट दें ताकि विभाग को उत्तर देने में आसानी हो सके।

15. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह (माननीय सदस्य के स्थान पर आसन के निदेश पर माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार) ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखण्ड के मौजमपुर के सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली को जोड़ने हेतु गंगा नदी पर पुल निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखण्ड स्थित इंदौत पंचायत के बबनबरूई से ग्राम बेलदारी बिगहा तक सम्पर्क पथ का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखण्ड को विभाजित कर एक नया प्रखण्ड सिपया का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

18. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी

जिलान्तर्गत पंडौल प्रखण्ड के भवानीपुर स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

19. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के सभी कोटि के कार्यरत शिक्षकों के मरणोपरान्त अनुकम्पा के आधार पर मिलने वाली शिक्षकों की सेवा के लिए टी.ई.टी./बी.टी.ई.टी. एवं प्रशिक्षित होने की बाध्यता को समाप्त करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

20. माननीय सदस्य, श्री सूरजनंदन प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना शहर के कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र में रामपुर नहर रोड के रामपुर पम्प हाउस से पूरब खाली गैरमजरूआ जमीन पर चिल्ड्रेन पार्क बनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

21. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज को अनुमंडल बनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

22. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'एन.एच.-नवादा रोड से पकड़ी – बरामा - सिकंदरा, कर्मा – मंजोस – कुन्दरी – सनकुरहा - लखनपुर-बरहट-गुरमाहा होते हुए धरहरा जमालपुर सड़क को जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

23. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नियोजित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान सभी सुविधाएं मुहैय्या करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

दिनांक – 6 मार्च, 2018 के गैर सरकारी संकल्प का शेष कार्य

24. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीतामढ़ी शहर का नाम सीतामही करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

25. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रकाश ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कविवर रामधारी सिंह 'दिनकर' के नाम से एक विश्वस्तरीय साहित्य महोत्सव का आयोजन करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सुबोध कुमार
2. प्रो. नवल किशोर यादव
3. श्री सोनेलाल मेहता
4. श्री कृष्ण कुमार सिंह
5. श्री हरिनारायण चौधरी
6. डा. सूरजनन्दन प्रसाद

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 26.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

23/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 547 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 23.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
23-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।